

फर्द अहकाम

(4)

की प्रकाश बनाम श्री तहसीलदार व अन्य
 किस्म मुकदमा 223 नंबर 25 सन् 17

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तारीख में जारी हुए
19 ⁰⁴ / ₁₈	<p>दि. 18.4.18 का राजकीय आदेश होने से यागवली आज प्रस्तुत हुई। वि. उपाय पक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में समाप्तशुदा बटस एवं यागवली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन एवं मानन करने पर यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7.7.17 को तहसीलदार के जवाब के लिए नियत किया था प्रकरण में यागवली की ओर से युक्त दावा में किया जाना था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दि. 12/7 को तहसीलदार का जवाब लेकर अपीलान्त। वादा का सुप्रेत किये बिना, सुने बिना, प्रकरण में तनकीशाल काया किये बिना दि. 12.7.17 को वादा। जपा. का वादा रवाराफ कर दिया जो निरसदेह प्रकृतक न्याय सिद्ध व विधिक प्रक्रिया के प्रातिकूल है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अमान्य किया जाकर प्रकरण</p>	



सू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

तारीख
हुकम

हुकम पर कार्यवाही का प्रमाण पत्र

सम्बन्धित
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

अधिनियम न्यायालय के न्यायाधीशों
 के साथ प्राप्त प्रेषित किए जाते हैं
 कि प्रकरण में उक्त फौजदारी
 विधिवत् सुनवाई का उक्त
 देकर विधिक प्रक्रिया
 करते हुए, विधिक निर्णय प्राप्त
 करे, परकारान् अधिनियम न्यायालय
 में दिनांक 18-6-18 को पेश हो।
 पनावला फौजदारी शुकाट लोकल बंद
 दारवला दारवला दारवला हो।
 हादेश सुनाया गया।

संज्ञित न्यायालय
के लिए प्रमाण पत्र
प्रमाणित कि प्रमाण
पत्र जारी है



न्यायाधीश
 न्याय पदेन राजस्व अधिकारी
 उदयपुर (राज.)



न्यायाधीश
 न्याय पदेन राजस्व अधिकारी
 (राज.)